महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या– 10 / 2020 / 462 / 36–3–2020–30(सा0) / 2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2. निदेशक, कारखाना, उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2020**

विषय :– कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि में देहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि में देहाड़ी मजदूर एवं ऐसे अन्य श्रमिकों/अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष आर्थिक स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शासन द्वारा उनकी आर्थिक एवं वित्तीय समस्याओं के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

1. देहाड़ी मजदूर एवं अन्य अल्प आय व्यक्तियों द्वारा यदि किराये के भवन में निवास किया जा रहा है तो भवन स्वामियों को यह निर्देश दिया जाए कि उनसे आगामी माह में देय एक माह का किराया फिलहाल न लें तथा इस आधार पर किसी से मकान खाली न कराया जाए।
2. ऐसे व्यक्तियों की विद्युत एवं जलापूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए तथा लॉक डाउन अवधि में इनके विच्छेदन न किये जायें।
3. लॉक डाउन अवधि में कर्मचारियों द्वारा work from home किया जा रहा है। अतः उनका पूरा वेतन/मजदूरी आगामी माह के प्रथम सप्ताह में वितरित कर दिया जाए।

2– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
30.3.020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 10 /2020/462(1)/36–3–2020–30(सा0)/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग/खाद्य एवं रसद विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी आदेश जारी करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5. समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।